न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/232/2023	03–02–2023	20–03–2023

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनाक 04.03.2022

उपस्थितः–

01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–::निर्णय::–

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/4905 दिनांक 04.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं 652/0.30 है0 किस्म बारनी 2 सम्पूर्ण वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर की भूमि काआवंटन छोटी देवी पत्नि राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.02.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब मे कथन किया गया कि अप्रार्थी को भूमि हीन मानते हुए एवं आवंटनशुदा आराजी पर पुराना कब्जा होने के आधार नियमानुसार आंवटन किया गया है। आवंटन के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये गये है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22 /4905 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो, व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत् कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय आवंटन की शर्तो की पालना नही कर आराजी का आवंटन किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (टी) 3131 दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम भानगढ कमाण्ड क्षेत्र मे आता है आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/4905 दिनांक 04.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/4905 दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)